पत्रांकः /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/देहरादून/09–10।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।
(विधि–अनुभाग)
दिनांकः:देहरादूनः:29 अक्टूबर, 09

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर
समस्त असिस्टैंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,

शासन द्वारा अधिसूचना सं0–812/2009/152(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 जारी करते हुये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की अनुसूची–I के कमांक 30 तथा अनुसूची–II(ख) के कमांक 139 में संशोधन करते हुये अवगत कराया गया है।

शासन द्वारा जारी उक्त अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न करते हुये इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासन के दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही करना/ करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

(एल0एम0पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 3186 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2–महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रानगर, देहरादून।

3–अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।

4–एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर।

5–एडिशनल कमिश्नर, (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।

6–समस्त ज्वांइट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां

–2–

कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनो के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7—ज्वांइट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

8— ज्वांइट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।

9—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उकत परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

10—श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 225 आर्शीवाद इन्क्लैव देहरादून।

11—पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रूड़की।

12—संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दे।

13—इन्टावैट ईन्फो प्रा0लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर0 सिधुआ मार्ग मुम्बई—400001।

14—नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़ गाजियाबाद।

15— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।

16—लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर, गाजियाबाद।

17—डिप्टी कमिश्नर (उ0न्याय0कार्य0) वाणिज्य कर नैनीताल।

18—दी होलसेल डीलर्स एसो0 14, आढ़त बाजार, देहरादून।

19—प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो0 222/5 गांधी ग्राम, देहरादून।

20—कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

21—विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

29/10/200

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग–8
सं0 /2009/152(120)/XXVII(8)/2008
दिनांकः: देहरादून ::29 अक्टूबर, 2009

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I तथा अनुसूची–II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

(क) अनुसूची–I में क्रमांक 30 की वर्तमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।

(ख) अनुसूची–II(ख) में क्रमांक 138 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी; अर्थात–
"139. बूटी, छाल, सूखे पौधे, सूखी जड़ें जिन्हें सामान्यतः जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है और सूखे फूल, और सुगंधित पौधे व घास जिसमें आर्गेनिक साल्वेंट ऑयल की हर्ब्स भी सम्मिलित है।"

(एल0एम0पन्त)
सचिव, वित्त।

सं0 812 /2009/152(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉं इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250–250 प्रतियॉं वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3–गार्ड फाईल हेतु/ एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
(सी0एस0 सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त।

28
29-10-09

New Vigyapti/Jari-Buti/DT

pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification NO.812/2009 /152(120)/XXVII(8)/2008 dated 29 October, 2009 for general information.

Uttarakhand Shasan

VITTA VIBHAG-8

NO. 812/2009 /152(120)/XXVII(8)/2008

Dehradun :: Dated: 29 October, 2009

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule- I and Schedule- II (B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005.

Amendment

(a) In Schedule- I, the existing entry at serial no. 30 shall be deleted.

(b) In Schedule- II (B), after the existing entry at serial no. 138, the following entry shall be added; namely-

"139. Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari buti, dry flower and aromatic plant and grasses including herbs of organic solvent oil."

(L.M.PANT) 29/10/2009

SECRETARY, FINANCE

New Vigyapti/ Jari-Buti/DT